



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8153

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29797 वर्ष 2025

अमरजीत यादव

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार पांडे, राज किशोर मिश्र, विदित नारायण मिश्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आनंद यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. पुनरीक्षित सुनवाई में भी सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विदित नारायण मिश्रा और राज्य के विद्वान एजीए श्री आर.एन. श्रीवास्तव की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 350/2022, धारा 302 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन अहिराउला, जिला आजमगढ़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उनकी पहली जमानत याचिका को इस तथ्य पर विचार करते हुए गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक मृतक का भतीजा था और उसने गोली मारकर उसकी हत्या की थी। इस मामले की एफआईआर उसके दूसरे चाचा ने दर्ज कराई थी और घटना मृतक की मां और बेटी की भी गवाह थी। लेकिन इस मामले में आवेदक सितंबर 2022 से यानी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।

5. उन्होंने आगे कहा कि आरोपपत्र में कुल 21 अभियोजन गवाह हैं, और आज तक केवल पाँच गवाहों की ही जाँच हो सकी है, इसलिए, मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है और इसके शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है।

6. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यक्षदर्शी सहित सभी गवाहों की जाँच अवर न्यायालय द्वारा की जा चुकी है, इसलिए, यदि आवेदक को जमानत पर रिहा भी कर दिया जाता है, तो भी अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

7. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर से यह स्पष्ट होता है कि सूचनाकर्ता, आवेदक के दूसरे चाचा, प्रत्यक्षदर्शी थे और जब उनसे परीक्षण न्यायालय के समक्ष पूछताछ की गई, तो जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की सूचना मिलने के बाद वे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, इसलिए,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट होता है कि वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और यह बयान 25.09.2025 के पूरक हलफनामे के पृष्ठ 20 पर संलग्न है।

8. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक की पत्नी और बेटी प्रत्यक्षदर्शी थीं और उन्होंने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन भी किया था, लेकिन तीसरे गवाह (यानी मामले के सूचनाकर्ता) के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना मृतक के घर में नहीं घटी थी, बल्कि नरसिंह के घर के पास घटी थी। साथ ही, एफआईआर से भी पता चलता है कि इन गवाहों के नाम दर्ज नहीं किए गए हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और बाद में जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए उन्हें प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया।

9. उन्होंने आगे कहा कि यह कानून सर्वविदित है कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार एक आरोपी का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर, गंभीर मामलों में भी, आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने **संघ भारत बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और शेख जावेद इकबाल उर्फ अशफाक अंसारी उर्फ जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) 8 एससीसी 293** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया।

10. उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक सुनवाई में देरी कर रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, लेकिन इसका उचित स्पष्टीकरण इस जमानत याचिका में दिया गया है और वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।

12. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और आवेदक मृतक का भतीजा है और उसने गोली मारकर उसकी हत्या की है। घटना के तीन गवाह भी हैं, जिनमें आवेदक का एक चाचा भी शामिल है जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी। और मृतक की पत्नी और बेटी भी। लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक 21 में से अभियोजन पक्ष के केवल 3 गवाहों की ही जांच हो सकी है। और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आवेदक मुकदमे में देरी कर रहा है।

13. विद्वान एजीए इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि सूचनाकर्ता के जिरह से पता चलता है कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा था। और उसके अनुसार, घटना नरसिंह के घर के पास हुई थी।

14. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

15. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उनकी पहली जमानत याचिका इस तथ्य पर विचार करते हुए खारिज कर दी गई थी कि वह मृतक का भतीजा था और आरोप के अनुसार, उसने गोली मारकर उसकी हत्या की थी। लेकिन यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले में, वह पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक 21 में से अभियोजन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष के गवाहों की केवल 3 ही जांच हो सकी है, इसलिए, मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है और इसके शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है।

16. इसके अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक सुनवाई में देरी कर रहा है।

17. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन मामलों में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, जिन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, यह दर्शाता है कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार एक आरोपी का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर, उसकी लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए, उचित मामलों में यहां तक कि गंभीर मामलों में भी, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

18. इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि सभी गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

19. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।

20. इसके अलावा, कानून यह निर्धारित करता है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, आरोपी को निर्दोष माना जाता है और उसकी जमानत याचिका को किसी भी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह निवारक हो या दंडात्मक।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

22. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

23. आवेदक **अमरजीत यादव** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं, और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12 जनवरी 2026

एस.ए.

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।